



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9696

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 258 सन् 2026

खुर्शीद अहमद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	मोहम्मद उमर खान
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. यू. खान और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने अदालत में कथन किया कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे प्रकरण पर बहस करने में सक्षम हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें 8 मार्च 1995 को उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, 26 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वे एसीपी पद के लाभ के पात्र थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि संत कबीर नगर के जिला विकास अधिकारी ने 11 दिसंबर 2025 को वेतन पुनर्निर्धारण और अधिक भुगतान की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और याचिकाकर्ता को इसकी सूचना नहीं दी गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह धोखाधड़ी, गलत बयानी या छिपाव का प्रकरण है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, उनके अनुसार आदेश को अपास्त किया जाए और प्रकरण को प्राधिकरण को वापस भेजा जाए ताकि वह नया आदेश पारित कर सके।

5. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी गई थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई धोखाधड़ी, छिपाव या गलतबयानी की है।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:

(ए) जिला संत कबीर नगर के जिला विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है; (बी) प्रकरण को संबंधित प्राधिकरण को वापस भेजा जाता है ताकि वह दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करे।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8. इस स्तर पर, श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कारण बताओ नोटिस 31.01.2026 तक जारी किया जाए।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

14 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।